बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016

सन्दर्भ

25 अक्टूबर, 2016 से पहले के कथित बेनामी लेनदेन के लिए 2016 के अधिनियम के तहत शुरू की गई सभी कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने हाल ही में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गणपति डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड मामले में एक फैसले में रद्द कर दिया था।

प्रमुख बिंदु

• मामले में शीर्ष अदालत को निर्णय देना था कि क्या बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988, जैसा कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया है, का पूर्वव्यापी या संभावित अनुप्रयोग है।

• प्रक्रिया की कमी के दोष को दूर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेनामी लेनदेन में लिप्त व्यक्तियों को कोई छूट नहीं दी गई है। संशोधित अधिनियम 25 अक्टूबर, 2016 से लागू हुआ।

SC की राय

• 1988 के अधिनियम में बेनामी लेन-देन का सार शामिल नहीं था क्योंकि इसकी परिभाषा में वैध लेनदेन को भी शामिल करने के लिए बहुत व्यापक रूप से लिखा गया था।

• 1988 के अधिनियम की भाषा में मेन्स री (दोषी दिमाग या आपराधिक इरादे का आरोप) के पहलू को भी नजरअंदाज किया गया जो आपराधिक कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है।

• स्पष्ट मनमानी के कारण यह असंवैधानिक था।

• बेनामी लेनदेन के अपराधीकरण से संबंधित अधिनियम 1988 के कुछ प्रावधानों के बाद से (धारा 3 और 5) को असंवैधानिक ठहराया गया था, पूर्वव्यापी आवेदन का कोई प्रश्न ही नहीं था।

• 2016 के अधिनियम ने, वास्तव में, नए प्रावधान और नए आपराधिक कृत्य को कानून के तहत शामिल किया।

बेनामी क्या है?

• संपत्ति के संदर्भ में "बेनामी" शब्द का आमतौर पर अर्थ है कि संपत्ति एक ऐसे व्यक्ति (बेनामीदार) के नाम पर खरीदी गई है, जो अन्यथा संपत्ति में लाभकारी हित नहीं रखता है।

• बेनामी लेन-देन को अपराध घोषित करने के लिए 1988 में बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम बनाया गया था।

• जयदयाल पोद्दार बनाम बीबी हाजरा मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए कई कारकों की रूपरेखा तैयार की कि लेनदेन बेनामी है या नहीं। इनमें शामिल हैं, - धन का स्रोत, खरीद के बाद के कब्जे की प्रकृति, खरीद का मकसद, लेन-देन में शामिल पक्षों के बीच संबंध, और खरीद के बाद कब्जेदार व्यक्तियों की हिरासत।

एनआईए ने देश भर में 60 ठिकानों पर छापेमारी

सन्दर्भ

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हाल ही में गिरोहों और अपराध सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए देश भर में 60 स्थानों पर छापे मारे।

National Investigation Agency
Government of India

प्रमुख बिंदु

• 60 स्थानों में दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के स्थान शामिल हैं।
• दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न गिरोहों के 10 गैंगस्टरों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दो प्राथमिकी दर्ज करने के बाद एनआईए जांच कर रही है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी

गृह मंत्रालय के तहत काम करता है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत स्थापित।
यह अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय एजेंसी है।
भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करना।
उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा में तस्करी की जांच एजेंसी है।
यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है।
राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने का अधिकार है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भारत की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कार्य बल है।
- एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच से निपटने का अधिकार है।
- एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अधिनियमन के साथ अस्तित्व में आई, जिसे मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पारित किया गया था।
- एनआईए गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है।
- इसका नेतृत्व एक महानिदेशक (एक आईपीएस अधिकारी) करता है।

शेल कंपनियां

सन्दर्भ

सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने हाल ही में एक व्यक्ति को देश में सक्रिय चीनी शेल कंपनियों के पीछे मास्टरमाइंड होने के लिए गिरफ्तार किया है।

शेल कंपनी क्या है?

- शेल कॉरपोरेशन या शेल कंपनी एक ऐसी इकाई है जिसके पास सक्रिय व्यावसायिक संचालन नहीं है, लेकिन विशिष्ट व्यावसायिक उद्देश्यों जैसे कर देनदारियों को कम करने के लिए स्थापित किया गया हो,
- यह किसी इकाई को कानूनी जोखिमों से बचने के लिए भी स्थापित की जा सकती है ,
- पूंजी जुटाना भी इसका उद्देश्य हो सकता है,
- धन शोधन जैसे अवैध प्रयोजनों के लिए इसका गठन हो सकता है,
- लाभकारी स्वामित्व को कानून प्रवर्तन से छिपाना या प्रतिबंधों को दरकिनार करना भी इसका उद्देश्य हो सकता है ।
- वर्तमान में, न तो कंपनी अधिनियम, 2013 और न ही कंपनी अधिनियम, 1956 और न ही कोई अन्य अधिनियम किसी शेल कंपनी को परिभाषित करता है।

एसएफआईओ के बारे में

- एसएफआईओ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है, जिसमें लेखा, फोरेंसिक ऑडिटिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच, कंपनी कानून, पूंजी बाजार और कराधान के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल हैं, जो सफेद कॉलर अपराध/धोखाधड़ी का पता लगाने और मुकदमा चलाने या अभियोजन पक्ष की सिफारिश करने के लिए हैं।
- इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है।
- एसएफआईओ का नेतृत्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर विभागाध्यक्ष के रूप में एक निदेशक द्वारा किया जाता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 ने एसएफआईओ को वैधानिक दर्जा प्रदान किया है।
- एसएफआईओ के पास कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई)

सन्दर्भ

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई) ने हाल ही में अपनी दूसरी सफल वर्षगांठ पूरी की है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाती है।
- पिछले 2 वर्षों में मत्स्य विकास दर, 2019-20 से 2021-22 तक 14.3% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाती है।
- इसके अलावा, मछली उत्पादन 2019-20 के दौरान 141.64 लाख टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और 2021-22 के दौरान 161.87 लाख टन (अनंतिम) हो गया।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में PMMSY का मुख्य आदर्श वाक्य 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' है।
- कार्यान्वयन एजेंसी: मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना को लागू कर रही है।
- PMMSY को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024 25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना, खोज करने की क्षमता को बढ़ाना और मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करते हुए एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना है।

पीएमएमएसवाई के उद्देश्य-

एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और पर्याप्त तरीके से मात्स्यिकी क्षेत्र की क्षमता का दोहन।

विस्तार, परस्पर क्रिया, गहनीकरण, विविधीकरण और भूमि और पानी के उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।

फसलोत्तर प्रबंधन और गुणवत्ता सुधार सहित मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण।

मछुआरों और मछली किसानों की आय दोगुनी करें और सार्थक रोजगार पैदा करना ।

कृषि जीवीए और निर्यात में मात्स्यिकी क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना।

मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन और नियामक ढांचा तैयार करना।

पीएमएमएसवाई के लक्ष्य-

- 2018-19 में 13.75 मिलियन मीट्रिक टन से 2024-25 तक मछली उत्पादन बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना।
- जलीय कृषि उत्पादकता को वर्तमान राष्ट्रीय औसत 3 टन से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना।
- घरेलू मछली की खपत में वृद्धि 5 किग्रा से 12 किग्रा प्रति व्यक्ति है।

आर्थिक मूल्यवर्धन-

- 2024-25 तक कृषि जीवीए में मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 2018-19 में 7.28% से लगभग 9% करना।
- 2018-19 में 46,589 करोड़ रुपये से 2024-25 तक निर्यात आय को दोगुना करके 1,00,000 करोड़ रुपये करना।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में निजी निवेश और उद्यमिता के विकास को सुगम बनाना।
- कटाई के बाद के नुकसान को 20-25% से घटाकर लगभग 10% कर दिया गया है।

आय और रोजगार सृजन में वृद्धि-

- मूल्य श्रृंखला के साथ 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना।
- मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना।

अन्य महत्त्वपूर्ण खबरें

दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में नए परिवर्तन

सन्दर्भ

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 और संबंधित नियम 1 सितंबर 2022 से लागू हुए।

प्रमुख बिंदु

• मुख्य परिवर्तनों में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत "कोर्ट" शब्द को हटाकर गोद लेने के आदेश जारी
करने के लिए अधिकृत करना शामिल है। यह मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए किया गया था।

• डीएम को बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण करने के साथ-साथ जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, बाल देखभाल संस्थानों आदि के कामकाज का मूल्यांकन करने का भी अधिकार दिया गया है।

• भारत में दत्तक ग्रहण दो कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं - हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (HAMA) और किशोर न्याय अधिनियम, 2015।

• हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 , एक अभिभावक-केंद्रित कानून है जो उत्तराधिकार, विरासत, परिवार के नाम की निरंतरता और अंतिम संस्कार के अधिकारों के कारणों के लिए गोद लेने का प्रावधान करता है।

• जेजे अधिनियम कानून के उल्लंघन में बच्चों के साथ-साथ देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के को भी संरक्षित करता है।

राष्ट्रीय विद्युत योजना

सन्दर्भ

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने उत्पादन से संबंधित मसौदा योजना के पहले खंड के लिए लाइसेंसधारियों, उत्पादन कंपनियों और जनता की टिप्पणियां मांगी हैं।

मुख्य बिंदु

• विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 के अनुसार, सीईए को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) तैयार करने और पांच साल में एक बार ऐसी योजना को
अधिसूचित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• यह ईंधन, बिजली की खपत आदि से संबंधित एक अल्पकालिक और दीर्घकालिक मांग पूर्वानुमान प्रदान करता है। सीईए 2022-27 के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार कर रहा है।

गल्फ़ कोपरेशन काउंसिल

सन्दर्भ

भारत और जीसीसी के बीच परामर्श के तंत्र पर खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सचिवालय जनरल और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

मुख्य बिंदु

• खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद, जिसे खाड़ी सहयोग परिषद भी कहा जाता है, एक क्षेत्रीय, अंतरसरकारी, राजनीतिक और आर्थिक संघ है।

• इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
• 1981 में स्थापित, परिषद का मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में स्थित है। द पेनिनसुला शील्ड फोर्स 1984 में गठित GCC की सैन्य शाखा है।
• सभी मौजूदा सदस्य राज्य राजतंत्र हैं, जिनमें तीन संवैधानिक राजतंत्र (कतर, कुवैत और बहरीन), दो पूर्ण राजतंत्र (सऊदी अरब और ओमान) और एक संघीय राजतंत्र (संयुक्त अरब अमीरात, जो सात सदस्य राज्यों से बना है, प्रत्येक जिनमें से अपने स्वयं के अमीर के साथ एक पूर्ण राजशाही है)।

फू

सन्दर्भ

अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में एक ऑफ-द-हाइवे गांव, न्युकमाडोंग, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा शुरू की जा रही एक सड़क परियोजना का विरोध कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

• बीआरओ रणनीतिक सेला पास के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर रहा है।

• समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि 36-वर्ग के 80% से अधिक। किमी पवित्र वन, जिसे स्थानीय रूप से फू कहा जाता है, नष्ट कर दिया गया है।
• स्थानीय लोगों का फू पवित्र उपवनों से घनिष्ठ संबंध है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को इलाके के फू से आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है।

सेला पास के बारे में

• 4170 मीटर की ऊंचाई पर, यह तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच की सीमा पर स्थित है।
• राष्ट्रीय राजमार्ग 13 (पहले NH 229) को ले जाने वाला दर्रा, जो तवांग को शेष भारत से जोड़ता है, तिब्बती बौद्ध धर्म में एक पवित्र स्थल है।
• यह स्थान बौद्ध शैली के युद्ध स्मारक के लिए जाना जाता है, जो 18 नवंबर, 1962 को भारत-चीन युद्ध के हिस्से के रूप में जाना जाता है।

द ग्रेट रिटायरमेंट

सन्दर्भ

कनाडा "द ग्रेट रिटायरमेंट" की घटना से जूझ रहा है।

प्रमुख बिंदु

• एक रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड संख्या में 55-64 आयु वर्ग के कनाडाई यात्रा करने या अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए पिछले 12 महीनों में सेवानिवृत्त हुए हैं।
• यह कनाडा के सबसे उच्च कुशल श्रमिकों के बड़े पैमाने पर पलायन को तेज कर रहा है, मजदूरी को तेजी से बढ़ा रहा है और देश की उत्पादकता क्षमता को और नीचे की ओर धकेल रहा है।
• यह समस्या विशेष रूप से व्यापार और नर्सिंग जैसे कुशल क्षेत्रों में व्यापक है।
• आर्थिक मंडी के दर से , बढ़ती ब्याज दरों (मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए) के बीच सिकुड़ती श्रम शक्ति आर्थिक विकास पर भार डाल सकती है ।
• G7 में कनाडा की कामकाजी उम्र की आबादी, कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में सबसे बड़ी है। इसने आर्थिक विकास को चलाने में मदद करने के लिए आप्रवासन में तेजी लाई है।

ऑपरेशन गियर बॉक्स

सन्दर्भ

हाल ही में, हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने ऑपरेशन 'गियर बॉक्स' शुरू किया और कोलकाता बंदरगाह से 39.5 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया।

प्रमुख बिंदु

• गियर बॉक्स में छिपी ड्रग्स का पता लगाने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया जाता है।

• पुराने और इस्तेमाल किए गए गियरबॉक्स से गियर को खोलने के बाद हटा दिया गया था और मादक पदार्थ युक्त प्लास्टिक के पैकेट को बनायीं गयी जगह में रखा गया था और पता लगाने से बचने के लिए गियरबॉक्स को रिफिट किया गया था।

होयसल मंदिर

सन्दर्भ

स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (ICOMOS) के एक प्रतिनिधि सहित एक विशेषज्ञ टीम, और अन्य अधिकारी बेलूर, हलेबिड और सोमनाथपुर में होयसल मंदिरों का दौरा करेंगे।

होयसल वास्तुकला

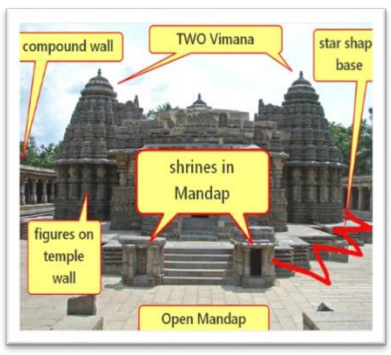

• यह 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के शासन के तहत विकसित हिंदू मंदिर वास्तुकला में निर्माण शैली है, जिसे आज कर्नाटक के रूप में जाना जाता है।
• यह या तो भगवान शिव या भगवान विष्णु को समर्पित हैं , जबकि जैन मंदिर पिछले तीर्थंकरों को समर्पित हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षक थे।
• होयसल मंदिरों को कभी-कभी संकर या वेसर कहा जाता है क्योंकि उनकी अनूठी शैली द्रविड़ और नागर शैलियों के बीच लगती है।
• होयसल वास्तुकला में खुले और बंद दोनों मंडप पाए जा सकते हैं। होयसल मंदिरों के मंडपों में गोलाकार स्तंभ हैं।
• अब इसका मुख्यालय फ्रांस के चेरेंटन-ले-पोंट, फ्रांस में है , स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी।
• नोट: एक विश्व धरोहर स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा प्रशासित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण के साथ एक मील का पत्थर है। भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare